

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

क्रमांक :-प1(1) कार्मिक/नि.चि./31/2011/1166

दिनांक:- 05.05.2011

-: कार्यालय-आदेश :-

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम 1970 के अन्तर्गत हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुये निम्नलिखित चिकित्सालयों को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता दी जाती है। निम्नांकित निजी चिकित्सालयों द्वारा उनके द्वारा निर्धारित चिकित्सा सुविधाओं की दरों पर 15 प्रतिशत की छूट देय होगी।

क्र.सं.	चिकित्सालय का नाम व पता	दूरभाष/मोबाईल नम्बर
1.	नर्मदा हॉस्पिटल एण्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, ई-466, लाल डिब्बा बस स्टॉप, मुरलीपुरा स्कीम, वी.के.आई.ए. रोड नं -2 के सामने, जयपुर- 13	0141- 2260399 98290 77318
2.	के.सी.जे. डायग्नोस्टिक एण्ड रिसर्च सेन्टर, शंकर सदन, आदिनाथ मार्ग, एसएमएस हॉस्पिटल के सामने, जयपुर	0141- 2377983 2371042
3.	नारायण हृदयालय हॉस्पिटल हॉस्पिटल - सेक्टर-28, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर-33	0141- 5192939 96940 96100

उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मण्डल के निर्णय की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।

सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियंता, राज0आ0म0, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वि0स0 एवं मुख्यलेखाधिकारी, राज0आ0मण्डल, जयपुर।
3. अति0 मुख्य अभियंताराज0आ0मण्डल, जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त वृत...../आवासीय अभियंता खण्ड.....।
5. संबंधित चिकित्सालय.....
6. समस्त प्रकोष्ठ मुख्यालय....., राज0आ0मण्डल, जयपुर।
7. नोटिस बोर्ड /रक्षित पत्रावली।

सचिव